



पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर (छ.ग.)

दूरभाष : 0771-2262802 (अकादमिक), 0771-2262540 (कुलसचिव), फ़ैक्स-0771-2262818, 2262607

क्रमांक 786 / अका. / सम्बद्धता / 2016

रायपुर, दिनांक : 01 / 03 / 2016

॥ आदेश ॥

विश्वविद्यालय विद्यापरिषद् की स्थाई समिति की बैठक दिनांक 15.02.2016 की अनुशंसा एवं कार्यपरिषद् की बैठक दिनांक 17.02.2016 के अनुमोदनानुसार आई.बी.टी. कालेज ऑफ साइंस एंड आर्ट्स, बेरला रोड, गिरहोला, अहिरा, जिला - दुर्ग को निम्नानुसार दर्शित कक्षा/विषय एवं सत्र के लिए अस्थायी सम्बद्धता सशर्त प्रदान की जाती है:-

क्र.	कक्षा/विषय	छात्र संख्या	सत्र
1.	B.Sc. - II (F.C., Maths, Physics, Chemistry)	40	2015-16
2.	B.Com - II (Compulsory subjects)	40	
3.	B.B.A. - II	30	
4.	B.C.A -II	30	

शर्त :-

- विश्वविद्यालय विद्यापरिषद् की स्थायी समिति की बैठक दिनांक 15.02.2016 के निर्णय एवं कार्यपरिषद् की बैठक दिनांक 17.02.2016 में हुए अनुमोदनानुसार महाविद्यालय को शासन के पत्र क्रमांक 433/आउशि/अशै.प्र./2015 रायपुर दिनांक 14.09.2015 के द्वारा उपरोक्त पाठ्यक्रम प्रारंभ करने की अनुमति प्रदान की गई है। शासन के उक्त आदेश में उल्लेखित शर्तों का पालन न करने एवं भविष्य में शासन के द्वारा उपरोक्त आदेश पर किसी भी प्रकार की आपत्ति होने पर, पाठ्यक्रम की संबद्धता पर नियमानुसार कार्यवाही की जावेगी।
 - छत्तीसगढ़ शासन प्रवेश मार्गदर्शिका सिद्धांत का पालन करेंगे एवं छत्तीसगढ़ के छात्रों को प्राथमिकता देंगे।
 - प्रावधानानुसार महाविद्यालय में प्रवेशित छात्रों से किसी भी प्रकार का डोनेशन न लिया जाये।
 - शिक्षकों/कर्मचारियों को नियमानुसार पूर्ण वेतन का भुगतान बैंक के माध्यम से की जावे।
 - समय-समय पर विश्वविद्यालय द्वारा जारी निर्देशों का पालन करेंगे।
 - निरीक्षण समिति के प्रतिवेदन में उल्लेखित बिंदुओं की पूर्ति करने के शर्त पर सम्बद्धता प्रदान किये जाने की अनुशंसा की गई है।
 - परिनियम 28 के तहत न्यूनतम शैक्षणिक स्टाफ की नियुक्ति आदेश निर्गमन की तिथि से तीन माह के भीतर पूर्ण करें।
 - जाँच प्रतिवेदन के भाग 'ब' में दर्शित कमियों (प्रति संलग्न) की पूर्ति महाविद्यालय में पाठ्यक्रम प्रारंभ होने के पूर्व तक करेंगे।
- उक्त शर्तों की पूर्ति न करने की स्थिति में महाविद्यालय को दी जा रही उपर्युक्त विषयों की सम्बद्धता आगामी सत्र से वापस ले ली जाएगी।

आदेशानुसार,

उप कुलसचिव (अका.)

पृ. क्रमांक : 787 / अका. / सम्बद्धता / 2016

रायपुर, दिनांक : 01 / 03 / 2016

प्रतिलिपि :-

- आयुक्त, उच्च शिक्षा संचालनालय, इंद्रावती भवन नया रायपुर (छ.ग.)।
- संचालक, महाविद्यालय विकास परिषद, पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर (छ.ग.)।
- संबंधित महाविद्यालय के प्राचार्य को।
- संचालक, शारीरिक शिक्षा/विभागाध्यक्ष, कम्प्यूटर अध्ययन शाला,
- स.कु.स. परीक्षा/परीक्षा सेमेस्टर/नामांकन/उ.कु.स. गोपनीय/वित्त नियंत्रक/विकास,
- अध्यक्ष, कम्प्यूटर अध्ययनशाला को इस निवेदन के साथ की इसे विश्वविद्यालय के वेबसाईट में सूचनार्थ Up-Load करें,
- कुलपति के सचिव/कुलसचिव के निजी सहायक, पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर को सूचनार्थ।

उप कुलसचिव (अका.)

भाग " ब "

भाग " अ " में दी गई जानकारी के सत्यापन के बाद निरीक्षण समिति द्वारा भरा जाए।
प्रस्तावित पाठ्यक्रम के संचालन के लिए निरीक्षण समिति का बिंदुसार प्रतिवेदन।

(प्रतिवेदन में अनुशंसा न की जाए अपितु पात्रता/अपात्रता का स्पष्ट उल्लेख किया जाए। कमियों का स्पष्ट उल्लेख किया जाए, जिन्हें सम्बद्धता के लिए शर्त के रूप में मान्य किया जा सके।)

- विश्वविद्यालय के पत्र क्रमांक 170/अका/2016 दिनांक 02-01-2016 के संदर्भ में अंश दिनांक 14-01-2016 को I.B.T. College of Science, अजमेर, राज. का, B.Sc. गरीब, B.Sc. (CA) B.Sc. B.A. Second Year Session 2015-16 के संदर्भ में निरीक्षण किया और प्राप्त:-
1. उक्त महाविद्यालय में उक्त पाठ्यक्रम हेतु अव्यवस्था पूर्ण है।
 2. Campus के एक भाग में 2015-16 में संचालित किया जाता है।
 3. उक्त पाठ्यक्रम हेतु और संस्था के अनुपात में सभी विषयों की पूर्ण व्यवस्था की जा चुकी है।
 4. महाविद्यालय के कंप्यूटर लैब में लाइव सॉफ्टवेयर है।/नाम (S) और कंप्यूटर लैब करने की आवश्यकता है।
 5. महिला और स्नातक प्रयोगशालाओं के पाठ्यक्रम के अनुसार उपकरण व्यवस्था की जा चुकी है।
 6. प्रयोग हेतु सभी विषयों के परित्याग 28 के अन्तर्गत शिक्षकों की निरीक्षण समिति के संयोजन का नाम एवं हस्ताक्षर निम्नलिखित के समान है।

14-1-2016

निरीक्षण दल के सदस्यों के हस्ताक्षर - नाम - पता

विषय विशेषज्ञ/ विशेषज्ञों के हस्ताक्षर एवं नाम-पता

Sumas
14-01-2016
(संजय कुमार)

A. K. Sharma
(Dr A. K. Sharma)
14/1/2016

दिनांक

प्रति,

कुलसचिव,

पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय,

रायपुर (छ.ग.)